2022/65

फर्द अहकाम
(नियम 26)

न्यायालय जिला कलक्टर, सिरोही

प्रार्थी/अपीलांट — बनाम — अप्रार्थी/रेस्पोडेन्ट

1. श्री गोपीचन्द पुत्र श्री भाकररामजी
जाति विश्नोई
निवासी जोदाणियों की ढाणी रणोदर
तहसील चितलवाना जिला जालोर।
जरिए पॉवर ऑफ एटोर्नी होल्डर श्री शिवनाथ
पुत्र श्री भंवरनाथ जाति नाथ
निवासी सोनी मोहल्ला सलोदा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द।

सरकार जरिये
अभियोजन अधिकारी सिरोही

किस्म मुकदमा– **प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ई.सी.एक्ट**

मुकदमा नं 01/ वर्ष 2022

दिनांक हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
04.02.2022	प्रार्थी की ओर से यह प्रार्थना पत्र अप्रार्थी के विरूद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6ए के तहत पेश किया गया। प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरोही के सी. आर. नं. 158 दिनांक 24.09.2021 में उपाधीक्षक पुलिस वृत सिरोही द्वारा गलत रूप से प्रार्थी का वाहन टोयोटा क्वालिस नम्बर आरजे 30 सी 2745 पकडा गया हैं। उसे जमानत एवं सुपुर्दगीनामें पर प्रार्थी को सुपुर्द करावें। प्रार्थना पत्र की प्रति अभियोजन अधिकारी सिरोही को दी जाकर केस डायरी तलब की गई एवं मूल परिवाद मंगवाया जाकर मैंनें परिवाद का अवलोकन किया गया। मूल डायरी का अध्ययन किया गया। परिवाद दिनांक 17.12.2021 को प्रस्तुत किया गया, जिसका अवलोकन करने पर पाया गया, कि दिनांक 24.09.2021 को श्री मदनसिंह उप अधीक्षक पुलिस वृत्ताधिकारी वृत सिरोही द्वारा एक रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 24.09.2021 को पुलिस थाना पालडी एम से रवाना होकर बाबा रामदेव होटल वेराविलपुर पहुंचे तो खास मुखबिर से सूचना मिली कि श्री लखमाराम पुत्र श्री जोराराम जाति रेबारी निवासी पेशुआ हाल वेराविलपुर, जो टैंकरों में से सस्ते भाव में डीजल खरीदकर अपने कृषि खेत में अवैध रूप से ग्राहकों को बेचने [illegible] पहुंचने पर कृषि खेत में प्लॉस्टिक के [illegible] में प्रत्येक ड्रम में 200 लीटर [illegible] के पास एक प्लॉस्टिक की पाईप [illegible] इनके पास एक व्यक्ति खडा मिला जिसका नाम पूछने पर उसने अपना नाम श्री लखमाराम पुत्र श्री जोराराम जाति रेबारी निवासी	

जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:13:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

पेशुआ हाल सिरोही होना बताया। श्री लखमाराम से तरल पदार्थ के बारे में पूछा तो उसने ड्रमों में डीजल भरा होना बताया, जिसे वह हाईवे होटलो पर खडे टैंकर चालकों से कम दाम में खरीदकर बाजार भाव से कम दामों में बेचकर मुनाफा कमाता है। श्री लखमाराम ने बताया कि वह श्री धनपतसिंह के कुएं पर काश्तकारी करता है एवं श्री अशोक कुमार पुत्र श्री नारायणसिंह जाति विश्नोई निवासी बागली जिला जालोर हाल श्रीजी बालाजी होटल वेराविलपुर पुलिस थाना पालडी एम जिला सिरोही द्वारा खेत ठेके पर लेकर उस पर डीजल के ड्रम रखे गए है। श्री अशोक कुमार से उक्त डीजल के अनुज्ञापत्र व बिल इत्यादि के बारे में पूछा तो उसने अपने पास किसी भी प्रकार का कोई अनुज्ञापत्र नहीं होना बताया एवं उक्त डीजल को हाईवे पर चलने वाले टैंकरों से सस्ते भाव में खरीदकर आगे ग्राहकों को बेचने के लिए रखा हुआ था। अतः भारी मात्रा में अवैध रूप से डीजल को बिना अनुज्ञापत्र के अवैध रूप परिवहन करने से अपराध धारा 407,379,411भादस का उल्ल्घन करना व MOTOR SPIRIT AND HIGH SPEED DIESEL REGULATION OF SUPPLY AND DISTRIBUTION AND PREVENTION OF MALPRACTICES ORDER 1998 SEC-(2)(i) का उल्लघन है अतः धारा 407,379,411 भादस, 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघन होने से मुकदमा दर्ज किया जाकर यह प्रकरण वाहन के निस्तारण हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया ।

प्रार्थी के लायक अधिवक्ता श्री दलपतराज परमार व अभियोजन अधिकारी की बहस सुनी गई । प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने बहस में निवेदन किया कि वाहन का स्वामी श्री शिवनाथ पुत्र श्री भंवरनाथ जाति नाथ निवासी सोनी मोहल्ला सलोदा तहसील नाथद्वारा जिला राजसमन्द केवल मात्र वाहन का एक मात्र स्वामी है एवं वाहन के थाने में पडे रहने से उसके खराब होने की पूर्ण सम्भावना है, जिससे प्रार्थी को काफी आर्थिक नुकसान होगा। पुलिस द्वारा वाहन से किसी तरह की कोई जॉच नहीं की जानी है।

इस संबंध में उनके द्वारा विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to re[illegible] supurdginama - Petitioner is registe[illegible] de[illegible] in petrolieum products No useful purpo[illegible] will be served in keeping the tanker lying under open place at police station Held, truck be released on supurdginama on the co[illegible]tion of furnishing a personal bond of Rs 50000 with one surety.**

अतः वाहन का प्रार्थी एकमात्र स्वामी होने से सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान करावें ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:13:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रार्थी अधिवक्ता के तर्को का विरोध करते हुये निवेदन किया कि चालक द्वारा डीजल की चोरी कर कालाबाजारी करने हेतु उक्त वाहन में ले जाया जा रहा था । जो आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत अपराध होने से पुलिस द्वारा वाहन मय डीजल को कब्जे सरकार लिया गया है। एफएसएल रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नही हुई है। प्रकरण का अनुसंधान जारी है।

ऐसी स्थिति में वाहन को सुपुदर्गीनामे पर सुपुर्द नहीं किया जावें । उपाधीक्षक पुलिस सिरोही द्वारा थाना पालडी एम के मुकदमा संख्या 158 दिनांक 24.09.2021 के अन्तर्गत धारा 3/7 ई.सी.एक्ट में टोयोटा क्वालिस नम्बर आरजे 30 सी 2745 को कब्जे सरकार लिए गए डीजल के साथ कब्जे सरकार लिया गया है । वाहन को सुपुर्दगीनामे पर सुपुर्द करवाने के आदेश प्रदान नहीं करावे।

मैंनें दोनों पक्षों की सुनी गई बहस पर मनन किया। थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम के एफ आई आर क्रमांक 158 दिनांक 24.09.2021 एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत पत्रादि का अध्योपान्त मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचता हूँ कि पुलिस द्वारा टोयोटा क्वालिस नम्बर आरजे 30 सी 2745 को प्रार्थी द्वारा डीजल चोरी करते हुए पाए जाने से मौके से उक्त डीजल एवं वाहन को कब्जे पुलिस लिया जाकर वाहन चालक को गिरफ्तार कर अग्रिम अुनसन्धान जारी है। वाहन को उसके पंजीकृत मालिक को देने पर अनुसन्धान पर कोई विपरित असर पडना नही पाया जाता है । ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष मे पाया जाता है जिससे वाहन मालिक को अतुलनीय क्षति होना पाया जाता है ।

उपभोक्ताओं को वाहन चलाने हेतु हो रही परेशानी को मध्यनजर रखते हुए उसका निस्तारण शीघ्र किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है। अतः विधिक दृष्टांत 2007(1)CJ(Raj.)Cr. S.B.Cr. प्रस्तुत किया जो इस प्रकार है **Revision Pettion No. 777 of 2006; decided on 27th Oct., 2006 Code of Criminial Procedure, 1973- Sec. 451/457- Tanker Sezied carried 4000 ltrs. solvent - Denial to release on supurdginama - Petitioner is [illegible] in [illegible]lieum products No useful purpos[illegible] served in keeping the t[illegible] at police statio[illegible]on supurdgina[illegible] furnishing a personal bond of Rs 50000 with [illegible] surety.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:13:37 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, सिरोही

Scanned with CamScanner

इस प्रकरण में लागू होना पाया जाने से उसका सम्मान करते हुए वाहन को रूपये 04,00,000/– की जमानत एवं सुपुर्दगीनामे पर दिये जाते है।

आदेश की प्रति पालनार्थ माफिक आदेश उसके स्वामी की जांच कर वाहन सुपुर्द करने हेतु थानाधिकारी पुलिस थाना पालडी एम को भिजवाई जावे । प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर होकर फैसल शुमार हो एंव नम्बर से कम होकर मूल पत्रावली के साथ नत्थी रखा जावें ।

(डॉ. भँवर लाल)
जिला कलेक्टर, सिरोही

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhanwar Lal
Date: 2022.04.20 16:13:37 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner